भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5574

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'ईट राइट' पहल की स्थिति

†5574. श्री कार्तिक चन्द्र पॉलः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित 'ईट राइट' इंडिया पहल का 'ईट राइट' स्कूल और 'ईट राइट' कैंपस कार्यक्रम सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में 'ईट राइट' पहल के अंतर्गत प्रमाणित स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) विशेषकर कोलकाता नगर निगम की सीमा के भीतर प्रमाणित स्कूलों और संस्थानों की संख्या कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में 'ईट राइट' पहल के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोलकाता में स्कूलों और उनके आसपास खाद्य सुरक्षा और जंक फूड प्रतिबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी, निरीक्षण या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पश्चिम बंगाल में 'ईट राइट' कार्यक्रमों के अंतर्गत जागरूकता, प्रमाणन और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से निवारक एवं संवर्धक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रव्यापी 'ईट राइट

इंडिया' अभियान चलाता है। यह पहल तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है - सुरक्षित खाएं, स्वस्थ खाएं और पौष्टिक खाएं। यह देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए सभी हितधारकों का सामूहिक प्रयास है, जिसका नारा है 'सही भोजन बेहतर जीवन'। इस पहल के अंतर्गत, ईट राइट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें स्व-मूल्यांकन, तृतीय-पक्ष ऑडिट, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के माध्यम से खाद्य संचालकों का प्रशिक्षण और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना शामिल है, और अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। यह स्कूलों सहित परिसरों में सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है, और उनके माध्यम से व्यापक समुदाय में भी जागरूकता फैलाना है। चूंकि खान-पान की आदतें बचपन से ही विकसित होती हैं, इसलिए स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में भोजन और पोषण का पर्याप्त समावेश आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में कुल 156 स्कूलों को ईट राइट स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसी प्रकार, ईट राइट कैंपस भी सुरक्षित, स्वस्थ और व्यवहार्य खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने, संतुलित भोजन सुनिश्चित करने और अस्पतालों, संस्थानों, कार्यस्थलों, जेलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि सहित सभी परिसरों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। पश्चिम बंगाल में कुल 196 ईट राइट कैंपस प्रमाणित हैं। पश्चिम बंगाल में ईट राइट पहल के तहत प्रमाणित स्कूलों और कैंपस का जिलावार विवरण **अनुलग्नक-क** में और कोलकाता से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

एफएसएसएआई जागरूकता, प्रमाणीकरण और प्रवर्तन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पिछले 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा आवंटित और उपयोग की गई धनराशि इस प्रकार है:

पश्चिम बंगाल में खान-पान संबंधी पहलों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि		
वर्ष	**आवंटित धनराशि रुपये में**	**उपयोग की गई धनराशि रुपये में**
2022-23	78.978 लाख	78.978 लाख
2023-24	167.279 लाख	167.279 लाख
2024-25	162.41 लाख	162.41 लाख

अनुलग्नक–क

पश्चिम बंगाल में 'ईट राइट इंडिया' पहल के तहत प्रमाणित विद्यालयों और परिसरों की जिलावार संख्या का विवरण

क्र.सं.	जिला	ईट राइट स्कूलों की संख्या	ईट राइट कैंपस की संख्या
1.	बांकुड़ा	05	08
2.	बर्द्धमान	--	06
3.	बशीरहाट स्वास्थ्य जिला	--	03
4.	बीरभूम	--	02
5.	बिष्णुपुर स्वास्थ्य जिला	--	03
6.	बर्दवान	--	04
7.	कूचबिहार	11	03
8.	दक्षिण दिनाजपुर	01	--
9.	दार्जिलिंग	09	15
10.	डायमंड हार्बर स्वास्थ्य जिला	--	05
11.	हाओरा	--	01
12.	हुगली	10	02
13.	हावड़ा	02	14
14.	जलपाईगुड़ी	03	08
15.	कोचबिहार	--	02
16.	कलिम्पोंग	02	--
17.	कोलकाता	36	31
18.	मालदा	16	10
19.	मुर्शिदाबाद	11	11
20.	नादिया	04	08
21.	नंदीग्राम स्वास्थ्य जिला	--	05
22.	उत्तर चौबीस परगना	06	18
23.	पश्चिम मेदनीपुर	--	01
24.	पूर्व बर्धमान	05	10
25.	पूर्ब मेदिनीपुर	09	10
26.	पुरुलिया	04	02
27.	दक्षिण 24 परगना	17	14
28.	उत्तर दिनाजपुर	05	--
	कुल	**156**	**196**

अनुलग्नक–ख

कोलकाता नगर निगम की सीमा के भीतर विशेष रूप से प्रमाणित विद्यालयों और संस्थानों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	**जिला/उप-जिला**	**ईट राइट स्कूलों की संख्या**	**ईट राइट कैंपस की संख्या**
1.	कोलकाता (कोलकाता नगर निगम)	30	22
